

वस्त्र मंत्रालय

## अनुसूचित जातियों के हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

Posted On: 20 FEB 2017 4:22PM by PIB Delhi

कपड़ा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आपस में हाथ मिलाया है, तािक अनुसूचित जाितयों के अनुमाित 12 लाख कारीगरों के आर्थिक विकास के लिए और भी ज्यादा आवश्यक कदम उठाये जा सकें। आज कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) राष्ट्रीय अनुसूचित जाित वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी) के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य देश भर में कार्यरत उन कारीगरों की आमदनी बढ़ाने के लिए आपस में मिल-जुलकर काम करना है जो अनुसूचित जाितयों से जुड़ी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वस्त्र सचिव श्रीमती रिश्न वर्मा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती लता कृष्ण राव भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।



इस एमओयू के तहत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय और एनएससीएफडीसी के बीच निरंतर एवं विस्तृत सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा जिसके उद्देशय निम्नलिखित हैं:-

- जागरूकता शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करके जरूरतों का आकलन करने के साथ-साथ संबंधित कमियों की पहचान करना।
- उन चिन्हित क्रस्टरों में जरूरत आधारित विस्तृत कौशल उन्नयन के काम पूरे करना भी एक अन्य उद्देशय है जहां अनुसूचित जातियों के कारीगर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अनूठे एवं बाजार अनुकूल डिजाइनों के क्षेत्र में और आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों को अपनाने के लिए इन कारीगरों के कौशल का उन्नयन किया जायेगा।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के कारीगरों और उनके उत्पादक समूहों की भागीदारी बढ़ाना।
- कपड़ा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाभों को आपस में संयुक्त करते हुए अनुसूचित जातियों के कारीगरों को रियायती दरों पर कार्यशील पूंजी से संबंधित ऋण मुहैया कराना।

एमओयू में इस बात पर भी सहमति जताई गई है कि विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) का कार्यालय अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए परियोजना संबंधी रिपोर्टों को तैयार करने और अनुसूचित जातियों के कारीगरों की जरूरतों को चिन्हित करने के लिए क्षेत्र (फील्ड) संबंधी अध्ययन कराने के लिए एनएससीएफडीसी की सहायता करेगा। विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) के कार्यालय के छह क्षेत्रीय कार्यालयों और 52 विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्रों की सहायता का विस्तार करने के अतिरिकृत इस तरह की सहायता दी जाएगी।

उपर्युक्त एमओयू पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) श्री आलोक कुमार और एनएससीएफडीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्री श्याम कपूर ने हस्ताक्षर किए।

वीके/आरआरएस/सीसी/एसकेपी-463

(Release ID: 1483053) Visitor Counter: 5









in